

**न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरु**  
**पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)**

इस्तगासा संख्या 2018 / 00130

दायर दिनांक 19.11.2018

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान)

—सायल—

बनाम

मनिराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार उम्र 40 साल निवासी सेउवा हाल साहवा पुलिस थाना साहवा जिला चूरु।

—गैरसायल—

**इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975**

उपस्थित :-

1. अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल

**निर्णय**

**दिनांक : 11.02.2022**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट चूरु से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल मनिराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार उम्र 40 साल निवासी सेउवा हाल साहवा पुलिस थाना साहवा जिला चूरु का रहने वाला है, जो सट्टे की खाईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :-

क.स.	मुकदमा न० एवं दिनांक	जुर्म धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1.	254 / 11.08.2013	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान	सजा 07.09.2013
2.	57 / 19.02.2014	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	चालान	सजा 23.04.2014
3.	86 / 13.03.2014	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	चालान 02.04.2014	सजा 18.07.2014
4.	184 / 09.06.2014	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	चालान 31.07.2014	सजा
5.	439 / 05.11.2015	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 22.12.2015	सजा 16.01.2016
6.	07 / 26.08.2018	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 26.09.2018	सजा 26.09.2018

अतः इस्तगासा विरुद्ध मनिराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार उम्र 40 साल निवासी सेउवा हाल साहवा पुलिस थाना साहवा जिला चूरु को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावे।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह ने वकालतनामा पेश किया किन्तु प्रकरण में ना तो जवाब पेश किया ना ही उपस्थित आये। इसलिए गैरसायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 03 बार, 13 RPGO तथा 03 बार 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावे ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।



पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली-भांति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 03 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. में दिनांक 11.08.2013, 05.11.2015 व 26.08.2018 तथा 03 मुकदमें 19/54 राजस्थान आवकारी अधिनियम में दिनांक 19.02.2014, 13.03.2014 व 09.06.2014 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल मनिराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार उम्र 40 साल निवासी सेउवा हाल साहवा पुलिस थाना साहवा जिला चूरु स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल मनिराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार उम्र 40 साल निवासी सेउवा हाल साहवा पुलिस थाना साहवा जिला चूरु को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना साहवा गैरसायल मनिराम को थानाधिकारी पुलिस थाना तारानगर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना तारानगर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना तारानगर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना साहवा व थानाधिकारी पुलिस थाना तारानगर तथा पुलिस अधीक्षक चूरु को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



11/2/22  
(लोकेश कुमार गौतम)  
अति० जिला कलक्टर एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, चूरु  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु